



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 869।

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 7, 2010/वैशाख 17, 1932

No. 869।

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 7, 2010/VAISAKHA 17, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2010

का.आ. 1037(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 69क (चिखली, दुनावा, छिंदवाड़ा, चौराई को जोड़ते हुए विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 पर मुल्लई से प्रारंभ होने वाला और मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 पर सिवनी पर समाप्त होने वाला राजमार्ग) और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 26ख (मध्य प्रदेश राज्य में हरारी, अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा, सौसर को जोड़ते हुए विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 26 पर नरसिंहपुर से प्रारंभ होने वाला राजमार्ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को संपत्ति है।

[फा. सं. एन एच/14012/5/2009-पी एण्ड एम]

एस. एस. मुलिया, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2010

S.O. 1037(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts National Highway No. 69A (the highway starting from Multai on existing National Highway No. 69 connecting Chikhli, Dunawa, Chindwara, Chaurai and terminating at Seoni on National Highway No. 7 in the State of Madhya Pradesh) and National Highway No. 26B (the highway starting from Narsinghpur on the existing National Highway No. 26 connecting Harrari, Amarwada, Chindwarā, Sausar in the State of Madhya Pradesh) to the National Highways Authority of India.

[F. No. NH 14012 5 2009-P & M]

S. S. GUIJA, Dy. Secy.